

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-12) विभाग

क्रमांक : प.2(7)गृह-12/कारा/1984

जयपुर, दिनांक

14 FEB 2018

:: आदेश ::

वर्ष 2018-19 में राजस्थान कारागार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि	विचाराधीन विभागीय जांच/ शिकायत व न्यायालय प्रकरण संबंधि प्रकरण
1.	श्रीमती प्रीता भार्गव	उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, उदयपुर	06.05.58	31.05.2018	कोई नहीं
2.	श्री भगवान सिंह खंगारोत	उपाधीक्षक, जिला कारागार, हनुमानगढ़	25.07.58	31.07.2018	सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत 01 विभागीय जांच राज्य स्तर पर विचाराधीन है।
3	श्री ईकबाल अहमद कुरेशी	उपाधीक्षक जिला कारागार डूंगरपुर	17.11.58	30.11.2018	कोई नहीं

आज्ञा से,

-स-

(कैलाश चन्द)

शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कारागार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 38659 दिनांक 28.12.17 के क्रम में।
4. निदेशक, पेंशन एवं वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव